G. J. College, Bihta, Patna

B.A.-II

By: Kumari Rajani Singh, Assistant Prof.,

Dept. of Economics

सार्वजनिक ऋण (Public Debt) : -

सार्वजनिक ऋण वह ऋण होता है। जिसके भुगतान के लिए कोई सरकार अपने देश के नागरिकों अथवा दूसरे देश के नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होती है।

किसी अर्थव्यवस्था में जब सार्वजनिक व्यय संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करारोपण द्वारा नहीं हो पाती तो सरकार को घाटे की वित्त व्यवस्था का आशय से लेना पड़ता है क्योंकि एक सीमा के बाद करारोपण आर्थिक गतिविधियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सार्वजनिक व्यय और प्राप्ति के अंतराल को पूरा करने के लिए सरकार को सार्वजनिक ऋण का आश्रय लेना पड़ता है।

सार्वजनिक ऋण एक भविष्य में घटित होने वाला यानी उत्तर भावी कर है।

सार्वजनिक ऋण और व्यक्तिगत ऋण दोनों के उद्देश्यों में समानता है।

दोनों के मूलधन तथा ब्याज संबंधी भुगतान एक से हैं, फिर भी

सार्वजनिक ऋण और व्यक्तिगत ऋण में कुछ अंतर होता है।

1. सरकार ऋण देने के लिए जनता को बाध्य कर सकती है जबकि व्यक्तिगत ऋणों के संदर्भ में यह संभव नहीं है।

2. राज्य सर्वकालिक होता है जबकि व्यक्ति मरणशील होता है।

3. सार्वजनिक ऋणों का प्रयोग सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है जबकि व्यक्तिगत ऋण का प्रयोग व्यक्तिगत हितों के लिए होता है।

सार्वजनिक ऋण के उद्देश्य

1. उत्पादन कार्यों के संपादन के लिए

2. आकस्मिक विपदाओं से निपटने के लिए

3. सुरक्षा तथा राजनीतिक उद्देश्य के लिए

4. सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना एवं सार्वजनिक कार्यों के लिए

5. कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए

6. आर्थिक स्थायित्व बनाए रखने के लिए

7. बजट के अस्थाई घाटे को पूरा करने के लिए।

सार्वजनिक ऋणों का वर्गीकरण

1. आंतरिक तथा वाह्य ऋण (Internal and external loan)

जब सार्वजनिक ऋण का दाता देश का नागरिक हो तो उसे आंतरिक ऋण कहा जाता है जबकि विदेशी व्यक्तियों और संस्थाओं से प्राप्त

ऋण विदेशी ऋण कहलाते हैं।

2. ऐच्छिक तथा अनिवार्य ऋण

ऐच्छिक ऋण वे ऋण है जिन्हें ऋण दाता अपनी स्वेच्छा से सरकार को देता है जबकि अनिवार्य ऋणों के संदर्भ में सरकार जनता को ऋण देने के लिए बाध्य कर सकती है।

3. बाजार ऋण तथा गैर बाजार ऋण

ऐसे ऋण जो सरकार को उन प्रतिभूतियों के आधार पर प्राप्त होते हैं जिन्हें बाजार में बेचा व खरीदा जा सकता है बाजार ऋण कहलाते हैं जबकि ऐसी प्रतिभूतियों पर लिए गए ऋण जिनका पुनः क्रय विक्रय संभव नहीं है, गैर बाजार ऋण कहलाते हैं।

4. उत्पादक तथा अनुत्पादक ऋण

ऐसे ऋण जिनसे प्राप्त धनराशि का प्रयोग किसी उत्पादक कार्य में किया जाता है उत्पादक ऋण कहलाते हैं जबकि गैर उत्पादक प्रयोगों में लगाई गई धनराशि जिन ऋणों से प्राप्त होती है गैर उत्पादक ऋण कहलाते हैं।

5. शोध्य तथा अशोध्य ऋण

Redeemable and irredeemable debts

ऐसे ऋण, जिनके एक निश्चित समय के बाद भुगतान का वादा सरकार करती है शोध्य ऋण कहलाते हैं जबकि अशोध्य ऋणों के संबंध में ऐसा कोई वायदा सरकार नहीं करती है। इस प्रकार अशोध्य

ऋणों में एक तरह से सरकार केवल ब्याज का ही भुगतान करती है, मूलधन के भुगतान की कोई चिंता सरकार को नहीं रहती है।

सार्वजनिक ऋणों का शोधन या प्रतिदान के तरीके (Redemption of public Debt) : -

सार्वजनिक ऋणों के प्रतिदान के लिए निम्नलिखित तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है।

1. ऋणों का प्रत्याख्यान (Debt Repudiation) : -

ऋणों के प्रत्याख्यान से आशय किसी ऋण के मूलधन तथा ब्याज की धनराशि को वापस देने से मना करना है डाल्टन इसे ऋण प्रतिदान का तरीका नहीं मानते हैं।

2.ऋण परिवर्तन(Conversion) : -

यह सार्वजनिक ऋण के प्रतिदान का सबसे सर्वाधिक प्रचलित तरीका है। जब सरकार निश्चित परिपक्वता अवधि के बाद किसी ऋण को चुकाने में असमर्थ हो जाती है तो वह पुरानी ऋणों के स्थान पर नए ऋणों को निर्गमित करती है। इसे ऋणों का नवीनीकरण भी कहा जा सकता है।

3.ऋण पुनः शोधन (Refunding) : -

सार्वजनिक ऋण के प्रतिदान के इस तरीके में सरकार द्वारा ऋण

चुकाने के लिए नई प्रतिभूतियों को जारी किया जाता है और प्राप्त धनराशि का प्रयोग ऋण चुकाने के लिए किया जाता है।

4.राजकीय आय के आधिक्य : -

(Revenue Surplus)

सार्वजनिक ऋण प्रतिदान के इस तरीके में सरकार बजट आधिक्य के द्वारा अर्थात व्यय की अपेक्षा राजकीय आय अधिक प्राप्त करके भी सार्वजनिक ऋण का भुगतान कर सकती है।

5. ऋण शोधन कोष (Sinking Fund) : -

सार्वजनिक ऋण प्रतिदान के इस तरीके में सरकार एक ऋण शोधन कोश निर्मित करती है जिसमें प्रतिवर्ष कुछ धनराशि का आवंटन किया जाता है इस कोष का प्रयोग सार्वजनिक ऋण भुगतान के लिए करते हैं।

6. पूंजी कर (Capital Tax) : -

सार्वजनिक ऋण प्रतिदान के इस तरीके में एक निश्चित सीमा के बाद संपत्ति रखने वाले वर्ग पर कर लगा कर प्राप्त धनराशि का प्रयोग सार्वजनिक ऋण भुगतान के लिए किया जाता है।

7. आवधिक वार्षिकी(Terminal Annuity) : -

सार्वजनिक ऋण प्रतिदान के इस तरीके में सार्वजनिक ऋण के धनराशि को वार्षिक किश्तों में बांट लिया जाता है और प्रतिवर्ष देय धनराशि का भुगतान कर दिया जाता है।